


# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना/स्थाना./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री करणी सिंह पड़िहार, वरिष्ठ व्याख्याता, (समकक्ष प्रधानाचार्य-राउमावि) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET), बीकानेर को शहीद कैप्टन चन्द्र चौधरी राउमावि बिग्गा बास, रामसरा जिला बीकानेर स्थानान्तरित किया गया था जिसके विरुद्ध श्री करणी सिंह पड़िहार द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 4541/2019 करणी सिंह पड़िहार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 4541/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 11.12.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन अपीलार्थी श्री करणी सिंह के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय अधिकरण के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में विभागीय आक्षेपित स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 को अपीलार्थी श्री करणी सिंह पड़िहार के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप श्री करणी सिंह पड़िहार, वरिष्ठ व्याख्याता, (समकक्ष प्रधानाचार्य-राउमावि) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET), बीकानेर में अपील संख्या 4541/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन पदस्थापित रहेंगे।


  
(हिमांशु गुप्ता) 14/01  
आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अपील/करणी सिंह/4541/2019 दिनांक: 16.01.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बीकानेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, बीकानेर।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)